



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



आदेश सं०:

पटना, दिनांक:...../08/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन संख्या 07/2018 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य के चिन्हित शहरों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (UPHCs) के लिए **Medical Officer-Part Time** के संविदागत पदों पर प्रतीक्षासूची से चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित UPHCs में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	महिला/पुरुष	पदस्थापन UPHC
1	2	3	4	5
1.	18072143	DR. SUMAN SINGH	महिला	दीघा मुशहरी, पटना।
2.	18072144	DR. SHWETA KUMARI	महिला	दाउदपुर बगीचा, पटना।
3.	18072016	DR. AAKANKSHA TRIPTI	महिला	कौशल नगर, पटना।
4.	18072155	DR. SHAMS AZAD	पुरुष	पूर्वी लोहानीपुर, पटना।
5.	18072110	DR. BISHWENDRA KUMAR JHA	पुरुष	अलीनगर, दरभंगा।
6.	18072112	DR. RAJIV RANJAN	पुरुष	झकहरी महादेव, पटना।
7.	18072105	DR. AAKRITI SINGH	महिला	उर्दु बाजार, दरभंगा।
8.	18072229	DR. JYOTI KUMARI	महिला	कमला नेहरू नगर, पटना।
9.	18072034	DR. ZEBA ALI KHAN	महिला	गर्दनीबाग-6सी, पटना।
10.	18072057	DR. ANJANA SHIWESH	महिला	दीदारगंज, पटना।
11.	18072133	DR. MOHAMMAD TABREZ KARIM	पुरुष	चुना भट्टी, दरभंगा।
12.	18072007	DR. RAJNEESH KUMAR	पुरुष	सिपाराडीह, पटना।
13.	18072218	DR. POOJA KUMAR	महिला	संदलपुर, कुम्हार, पटना।
14.	18072035	DR. MANISH ANAND	पुरुष	बगहा, बेगूसराय।
15.	18072050	DR. JAY SHANKAR KUMAR	पुरुष	तकिया, रोहतास।
16.	18072096	DR. KUMAR YOGA RANJAN	पुरुष	गौशगंज, भोजपुर।
17.	18072048	DR. NIVEDITA KUMARI SINHA	महिला	जयप्रभा, पटना।
18.	18072014	DR. MD. AQUIL HUSSAIN	पुरुष	पश्चिमी लोहानीपुर, पटना।
19.	18072216	DR. RICHA	महिला	कन्हौली, मुजफ्फरपुर।
20.	18072227	DR. AMIT KUMAR	पुरुष	रामसागर तालाब, गया।
21.	18072196	DR. SUMAN SAURABH	पुरुष	मौलाबाग, भोजपुर।
22.	18072211	DR. WAMIQUE HASSAN MANAZIR	पुरुष	अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर।
23.	18072210	DR. KSHITISH RAJ	पुरुष	धरहरा, भोजपुर।
24.	18072026	DR. PRAMENDRA KUMAR SINGH	पुरुष	बड़ा तेलपा, सारण।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



क्र.सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	महिला/पुरुष	पदस्थापन UPHC
1	2	3	4	5
25.	18072024	DR. SWARNA RAJHANS	महिला	ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर।
26.	18072073	DR. BHARAT KUMAR	पुरुष	ताजगंज, फसिया, कटिहार।
27.	18072013	DR. SAFIA WASI	महिला	जिला स्वास्थ्य समिति, पटना।
28.	18072250	DR. NAZNEEN FIRDAUS	महिला	पोस्टल पार्क, पटना।
29.	18072068	DR. RATNESH RAVI	पुरुष	जिला स्वास्थ्य समिति, पटना।
30.	18072128	DR. GORAKH KUMAR	पुरुष	कस्बा, पटना।
31.	18072117	DR. MANOJ KUMAR	पुरुष	गुलजारबाग, पटना।
32.	18072043	DR. AMRESH KUMAR	पुरुष	मारुफगंज, पटना।
33.	18072010	DR. CHAKRAPANI KUMAR	पुरुष	सकुन्तकला, नालन्दा।
34.	18072237	DR. RADHE SHYAM YADAV	पुरुष	कंकड़बाग, पटना।
35.	18072181	DR. DHARMENDRA KUMAR	पुरुष	सोहसराय, नालन्दा।

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-
- दिनांक 22/08/2019 तक अपने नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित पदस्थापन जिला के UPHC में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
 - योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, ₹1,000/- (एक हजार रुपये) का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 30/08/2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
 - यदि सरकारी सेवा में है या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
 - वैसे चयनित अभ्यर्थी, जो BMRC में निबंधन नहीं करा पाए हैं वे निबंधन करा कर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करें एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे, अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
 - यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए होगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।



- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
 - vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
 - viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
 - ix. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्वसूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
 - x. Medical Officer-Part Time के Performance Appraisal Report (PAR) के Appraiser Authority जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी-NUHM एवं Reviewing Authority सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति तथा Accepting Authority कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना होंगे।
 - xi. सभी नवनियोजित Medical Officer-Part Time अपना PAR माह जुलाई, 2020 तक संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को हस्तगत करा देंगे। सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति एक पक्ष के अन्दर प्राप्त PAR पर अपना मन्तव्य अंकित करते हुए मूलप्रति इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
 - xii. सभी नवनियोजित Medical Officer-Part Time को एकमुश्त मानदेय ₹34,000/- (चौतीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह का भुगतान, वर्ष 2019-20 के RoP के FMR code-U.8.1.5.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।
3. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: SHSB/GA/HR/1685/2016 (Part-A)/..... 3287 पटना, दिनांक: 06/08/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

